NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 02-12-2025

विषय सूची

» वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2025–30
» "वैश्विक जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करना और जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) का आधुनिकीकरण
» पुलिस का आधुनिकीकरण
» अंतरिक्ष मिशनों में परमाणु ऊर्जा

संक्षिप्त समाचार

» केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
» संचार साथी ऐप
» मसाला बॉन्ड
» प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन(PM VIKAS)
» हेरॉन एमके II यूएवी
» ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, 'रेज बेट'
» डॉ. टेसी थॉमस को पॉलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार 2025 द्वारा सम्मानित

वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2025–30

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन रणनीति (NSFI) 2025–30 जारी की है, जिसमें भारत में वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ता और विस्तार देने के लिए पाँच वर्षीय योजना (पंच-ज्योति) का विवरण दिया गया है।

परिचय

- यह रणनीति, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (FSDC) की उप-समिति द्वारा अनुमोदित, पाँच रणनीतिक उद्देश्यों को निर्धारित करती है जिन्हें एक व्यापक पंच-ज्योति ढाँचे और 47 क्रियात्मक कदमों द्वारा समर्थित किया गया है।
- विश्व बैंक के अनुसार, वित्तीय समावेशन का अर्थ है कि व्यक्तियों और व्यवसायों को उपयोगी एवं सस्ती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुँच हो — लेनदेन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा — जो जिम्मेदारी एवं स्थिरता के साथ प्रदान किए जाते हैं।

पंच-ज्योति के रणनीतिक स्तंभ

- **वित्तीय सेवाओं का संवर्धन**: घरों और सूक्ष्म उद्यमों के लिए समान, जिम्मेदार एवं सस्ती वित्तीय सेवाएँ प्रदान करना।
- **लैंगिक-संवेदनशील समावेशन**: महिलाओं-केंद्रित रणनीतियों को लागू करना और कमजोर एवं वंचित समूहों का समर्थन करना।
- **जीविकोपार्जन और वित्त का संबंध**: कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रमों को औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जोड़ना।
- **वित्तीय शिक्षा**: वित्तीय साक्षरता का उपयोग करके जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार और अनुशासन को बढ़ावा देना।
- **उपभोक्ता संरक्षण**: ग्राहक संरक्षण और शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करना ताकि विश्वसनीयता एवं पहुँच बेहतर हो सके।

वित्तीय समावेशन की चुनौतियाँ

- **डिजिटल विभाजन**: कई ग्रामीण जनसंख्या के पास स्मार्टफोन या इंटरनेट की पहुँच नहीं है, जिससे डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुँच सीमित होती है।
- **कम वित्तीय साक्षरता**: औपचारिक वित्तीय उत्पादों और योजनाओं के बारे में जागरूकता की कमी उनके अपनाने में बाधा डालती है। (2023 के आँकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय साक्षरता केवल 62.6% है।)
- **विश्वास की कमी**: धोखाधड़ी का डर, जटिल प्रक्रियाएँ और पूर्व खराब अनुभव प्रथम बार उपयोगकर्ताओं को औपचारिक वित्त में भाग लेने से हतोत्साहित करते हैं। (NCRB डेटा के अनुसार 2021–22 के बीच साइबर अपराध रिपोर्टों में 24.4% की वृद्धि हुई।)
- **बुनियादी ढाँचे की कमी**: दूरदराज़ क्षेत्रों में अपर्याप्त बैंकिंग ढाँचा (एटीएम, शाखाएँ) पहुँच को कम करता है।
- **लैंगिक असमानता**: यद्यपि महिलाओं में बैंक खाता स्वामित्व में सुधार हुआ है, वास्तविक उपयोग सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं के कारण कम है।
- **MSMEs को अपर्याप्त ऋण प्रवाह**: योजनाओं के बावजूद, छोटे और मध्यम उद्यमों को औपचारिक ऋण सीमित रूप से मिलता है क्योंकि इसमें संपार्श्विक एवं दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता होती है।

वित्तीय समावेशन के लिए सरकारी पहलें

- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY)**: 2015 में शुरू की गई, यह योजना छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को ₹10 लाख तक के ऋण प्रदान करती है। (केंद्रीय बजट 2024-25 में ऋण सीमा बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गई।)
- **वित्तीय समावेशन सूचकांक (FI-Index)**: 2021 में RBI द्वारा शुरू किया गया, यह सूचकांक वित्तीय सेवाओं तक पहुँच, कमजोर वर्गों और निम्न-आय समूहों को समय पर एवं पर्याप्त ऋण सस्ती लागत पर सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को ट्रैक करता है।
- **प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)**: 2015 में शुरू की गई, यह दुर्घटना बीमा योजना मृत्यु और विकलांगता को कवर करती है।

- यह एक वर्ष की नवीकरणीय पॉलिसी है जिसका उद्देश्य बीमा प्रसार को बढ़ाना है। (यह योजना 18-70 वर्ष आयु के उन व्यक्तियों को कवरेज देती है जिनके पास बचत या डाकघर खाता है।)

- **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)**: 2015 में शुरू की गई, यह सरकार समर्थित जीवन बीमा योजना है। (यह योजना किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करने वाला एक वर्ष का नवीकरणीय जीवन बीमा प्रदान करती है।)
- **अटल पेंशन योजना (APY)**: 2015 में शुरू की गई, यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। (APY को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा विनियमित किया जाता है तथा यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ढाँचे के अंतर्गत कार्य करती है।)
- **प्रधान मंत्री जन धन योजना (PMJDY)**: 2014 में शुरू की गई, इसका उद्देश्य बिना बैंक वाले लोगों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना था, जिससे बचत खाते, ऋण, प्रेषण, बीमा और पेंशन तक पहुँच का विस्तार हो सके।

आगे की राह

- बैंकिंग संवाददाताओं के प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और जवाबदेही को सुदृढ़ किया जाना चाहिए ताकि अंतिम स्तर पर सेवा वितरण में सुधार हो सके।
- एआई और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करके अंतराल की पहचान, वित्तीय व्यवहार का ट्रैकिंग एवं बेहतर लक्षित नीतियों को सक्षम किया जाना चाहिए।
- फिनटेक कंपनियों, डिजिटल बैंकों और अन्य निजी खिलाड़ियों को नवाचार करने एवं वंचित जनसंख्या तक सेवाएँ पहुँचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

Source: BS

"वैश्विक जैव सुरक्षा को सुदृढ़ करना और जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) का आधुनिकीकरण

संदर्भ

- हाल ही में भारत के विदेश मंत्री ने जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) की 50वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक सम्मेलन में चेतावनी दी कि विश्व अभी तक 'जैव-आतंकवाद' (Bioterrorism) के खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है। उन्होंने गंभीर संस्थागत और संरचनात्मक खामियों को उजागर किया।

जैव-आतंकवाद

- यह जैविक एजेंटों — जैसे बैक्टीरिया, वायरस या विषाक्त पदार्थों — को जानबूझकर छोड़ने को संदर्भित करता है, ताकि मनुष्यों, जानवरों या पौधों में बीमारी या मृत्यु हो सके।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के अनुसार, जैव-आतंकवाद को एक जैविक आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो प्राकृतिक प्रकोपों से अलग है क्योंकि इसमें जानबूझकर किया गया प्रयोजन शामिल होता है।
  - संभावित जैव-आतंक एजेंटों में रोगजनक जैसे *बैसिलस एन्थ्रेसिस* (एंथ्रेक्स), *वैरियोला मेजर* (चेचक), और *बोटुलिनम* जैसे शामिल हैं।
- जैव-प्रौद्योगिकी और सिंथेटिक बायोलॉजी में प्रगति के साथ जैव-आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है, जो अपार लाभ प्रदान करते हुए भी दुरुपयोग का जोखिम उत्पन्न करता है।
- जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) जैविक हथियारों के विकास, उत्पादन और स्वामित्व पर रोक लगाने वाली प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संधि है।

जैविक हथियार सम्मेलन (BWC) का अवलोकन

- BWC की स्थापना हुई और यह 26 मार्च 1975 को लागू हुआ, जिससे यह सामूहिक विनाश के पूरे एक वर्ग के हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम बहुपक्षीय निरस्त्रीकरण संधि बनी।
  - यह जैविक एवं हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, हस्तांतरण, भंडारण और उपयोग पर रोक लगाता है।

- संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण मामलों का कार्यालय (UNODA) इस संधि का जमा-धारक और प्रशासनिक समर्थन निकाय है।
- **सदस्यता:** कुल 189 राज्य, जिनमें भारत भी शामिल है, और कई अन्य हस्ताक्षरकर्ता हैं।
- समीक्षा सम्मेलन प्रत्येक पाँच वर्ष में आयोजित किए जाते हैं ताकि कार्यान्वयन का आकलन किया जा सके और उभरते जैव-सुरक्षा खतरों का समाधान किया जा सके।

BWC से संबंधित चिंताएँ और मुद्दे

- **मूलभूत संस्थागत संरचनाओं की कमी:** भारत ने रेखांकित किया कि 'जैव-आतंकवाद एक गंभीर चिंता है जिसके लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पर्याप्त रूप से तैयार रहना चाहिए', लेकिन इसके महत्व के बावजूद BWC में अभी भी मूलभूत संस्थागत संरचनाओं की कमी है, जैसे:
  - कोई अनुपालन प्रणाली नहीं;
  - कोई स्थायी तकनीकी निकाय नहीं;
  - वैज्ञानिक विकास को ट्रैक करने का कोई तंत्र नहीं।
- **कोई सत्यापन तंत्र नहीं:** BWC में औपचारिक सत्यापन व्यवस्था का अभाव है, जिससे प्रवर्तन और अनुपालन निगरानी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, जबकि रासायनिक हथियार सम्मेलन में ऐसा तंत्र उपस्थित है।
- **BWC कार्यान्वयन समर्थन इकाई (ISU):** स्थायी सत्यापन व्यवस्था या समर्पित तकनीकी संगठन की दिशा में प्रगति धीमी रही है।
  - ISU अभी भी अपर्याप्त वित्तपोषित और कम स्टाफ वाला है, जो व्यापक राजनीतिक जड़ता को दर्शाता है।
- **द्वि-उपयोग जैव-प्रौद्योगिकी में बढ़ती जटिलता:** संधि की 50वीं वर्षगांठ सिंथेटिक बायोलॉजी, जीनोम संपादन और AI-आधारित जैव-इंजीनियरिंग में तीव्रता से प्रगति के बीच आई है, जिससे शांतिपूर्ण एवं सैन्य अनुप्रयोगों के बीच की रेखाएँ धुंधली हो रही हैं।
- **पारदर्शिता और विश्वास-निर्माण उपाय:** 1980 के दशक से, विश्वास-निर्माण उपाय (CBMs) प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें राज्यों को सुविधाओं और अनुसंधान गतिविधियों पर डेटा प्रस्तुत करना आवश्यक है।
  - अनुपालन, हालांकि, असमान बना हुआ है, और 60% से कम राज्य नियमित रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
- **भूराजनीतिक गतिशीलता:** प्रमुख शक्तियों — विशेष रूप से अमेरिका, रूस और चीन — के बीच तनाव ने 2001 में वार्ता के विफल होने के बाद से सत्यापन प्रोटोकॉल पर सहमति को बाधित किया है।
  - भारत, इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे नए अभिनेता अधिक समावेशी और न्यायसंगत जैव-सुरक्षा शासन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जो निरस्त्रीकरण को विकास एजेंडा से जोड़ते हैं।

भारत का नीति ढाँचा

- भारत के NDMA और स्वास्थ्य मंत्रालय ने तैयारी ढाँचे लागू किए हैं, जिनमें शामिल हैं:
  - एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP);
  - जैविक आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश (NDMA, 2008);
  - राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (NCDC) त्वरित प्रतिक्रिया और जैव-निगरानी के लिए;
- ये पहल जैविक घटनाओं का शीघ्र पता लगाने और प्रतिक्रिया देने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य लचीलापन सुनिश्चित हो सके।

भारत द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यान्वयन ढाँचा

- भारत ने घरेलू और वैश्विक तैयारी को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यान्वयन ढाँचा प्रस्तावित किया है। यह ढाँचा निम्नलिखित को कवर करने का लक्ष्य रखता है:
  - उच्च-जोखिम एजेंट;
  - द्वि-उपयोग अनुसंधान की निगरानी;
  - घरेलू रिपोर्टिंग तंत्र;
  - घटना प्रबंधन प्रोटोकॉल।

भविष्य की राह

- जीन इंजीनियरिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, BWC को विकसित होना चाहिए। प्रमुख सिफारिशें शामिल हैं:

- उभरती जैव-प्रौद्योगिकियों के लिए BWC के अंतर्गत एक वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की स्थापना।
- सदस्य राज्यों के बीच पारदर्शिता और सहकर्मी समीक्षा को बढ़ाना।
- अंतरराष्ट्रीय जैव-सुरक्षा मानकों द्वारा समर्थित एक सत्यापन प्रोटोकॉल विकसित करना।

- वैज्ञानिकों के बीच शिक्षा और क्षमता-निर्माण को बढ़ावा देना भी जैविक अनुसंधान के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।

Source: TH

पुलिस का आधुनिकीकरण

समाचार में

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में "विकसित भारत: सुरक्षा आयाम" विषय के अंतर्गत आयोजित 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन की अध्यक्षता की।
  - उन्होंने आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और नई चुनौतियों से निपटने के लिए आगामी पीढ़ी के पुलिसिंग ढाँचों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

भारत की पुलिस आधुनिकीकरण

- संविधान के अंतर्गत पुलिस और कानून-व्यवस्था राज्य विषय हैं, जिससे राज्य सरकारें इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होती हैं।
- हालांकि, वित्तीय सीमाओं के कारण कई राज्यों को अपनी पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने में कठिनाई हुई है।
- उन्हें समर्थन देने के लिए गृह मंत्रालय "राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों को पुलिस आधुनिकीकरण हेतु सहायता" (ASUMP) [पूर्व में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (MPF) योजना] के माध्यम से संसाधन प्रदान कर रहा है।

आधुनिकीकरण की आवश्यकता

- भारत की पुलिस प्रणाली अभी भी अत्यंत सीमा तक औपनिवेशिक युग की संरचनाओं द्वारा संचालित है, जो प्रायः साइबर अपराध, आतंकवाद, संगठित अपराध और शहरी पुलिसिंग चुनौतियों से निपटने के लिए अपर्याप्त होती है।
- बढ़ती जनसंख्या, तीव्र शहरीकरण और जटिल कानून-व्यवस्था की स्थितियाँ कुशल, प्रौद्योगिकी-सक्षम पुलिसिंग की मांग करती हैं।
- पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और धारणा कम बनी हुई है, जिसके लिए प्रशिक्षण, जवाबदेही एवं सामुदायिक जुड़ाव में सुधार आवश्यक है।

उभरते मुद्दे

- साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी तेजी से बढ़ रही है, जिसके लिए विशेष इकाइयों एवं उन्नत फोरेंसिक उपकरणों की आवश्यकता है।
- वामपंथी उग्रवाद (LWE), तटीय सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी अभी भी गंभीर चिंताएँ बनी हुई हैं।
- जनशक्ति की कमी, पुराना उपकरण और अपर्याप्त प्रशिक्षण प्रभावी पुलिसिंग में बाधा डालते हैं।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- गृह मंत्रालय (MHA) पुलिस आधुनिकीकरण हेतु राज्यों को सहायता योजना चलाता है, जो हथियारों, संचार प्रणालियों, फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और गतिशीलता समाधान के लिए धन उपलब्ध कराता है।
- पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) नवाचार, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा देता है, जो पुलिस एवं वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सेतु का कार्य करता है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में DGP/IGP सम्मेलन में प्रतिबंधित संगठनों की निगरानी, तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने और समग्र आपदा प्रबंधन पर बल दिया।

निष्कर्ष और आगे की राह

- भारत में पुलिस आधुनिकीकरण का उद्देश्य बल को एक पेशेवर, नागरिक-केंद्रित और तकनीकी रूप से सशक्त संस्था में बदलना है, जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो।

- इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), भविष्यवाणी आधारित पुलिसिंग, ड्रोन, निगरानी और साइबर फोरेंसिक का एकीकरण शामिल है, साथ ही नियमित प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण एवं साइबर व वित्तीय अपराधों के लिए विशेष इकाइयों के माध्यम से क्षमता निर्माण भी।

Source: Air

अंतरिक्ष मिशनों में परमाणु ऊर्जा

संदर्भ

- अमेरिका ने हाल ही में अपने *"चंद्रमा विखंडन सतही ऊर्जा परियोजना"* के अंतर्गत 2030 के शुरुआती वर्षों तक चंद्रमा पर एक छोटा परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना की घोषणा की है।

अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा के महत्व में वृद्धि के कारण

- चंद्रमा का वातावरण बहुत कम है और वहाँ 14 दिनों तक अंधकार रहता है, जिससे सौर ऊर्जा कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अविश्वसनीय हो जाती है।
- एक छोटा चंद्र रिएक्टर लगातार एक दशक या उससे अधिक समय तक कार्य कर सकता है, जो आवास, रोवर, 3D प्रिंटर और जीवन-समर्थन प्रणालियों को ऊर्जा प्रदान करेगा।
- इस क्षमता का विकास मंगल मिशनों के लिए आवश्यक है, जहाँ सौर ऊर्जा और भी अधिक सीमित है।

अंतरिक्ष में परमाणु ऊर्जा का विकास

- **रेडियोआइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर (RTGs):** यह प्लूटोनियम-238 नाभिक के धीमे क्षय से निकलने वाली ऊष्मा को विद्युत में परिवर्तित करता है और धूल व अंधकार से अप्रभावित रहता है। इसका उपयोग *वोएजर, कैसिनी और क्यूरियोसिटी* जैसे अंतरिक्ष यानों में किया गया है।
  - हालांकि, ये केवल सैकड़ों वाट उत्पन्न करते हैं, जो मानव आवास या उद्योग के लिए अपर्याप्त है।
- **कॉम्पैक्ट फिशन रिएक्टर:** ये दर्जनों से सैकड़ों किलोवाट तक विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम हैं।
- **न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन (NTP):** यह हाइड्रोजन को रिएक्टर से गर्म करता है और उसे बाहर निकालकर थ्रस्ट उत्पन्न करता है।
  - अमेरिका का *DRACO* कार्यक्रम 2026 तक चंद्रमा की कक्षा में इस तकनीक का परीक्षण करेगा। यह मंगल यात्रा के समय को काफी कम कर सकता है और अंतरिक्ष यात्रियों के विकिरण जोखिम को घटा सकता है।
- **न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन:** इसमें रिएक्टर-जनित विद्युत प्रोपेलेंट को आयनित करती है, जिससे गहरे अंतरिक्ष जांच यानों और कार्गो मिशनों के लिए वर्षों तक कुशल थ्रस्ट मिलता है।

अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचा

- **बाह्य अंतरिक्ष संधि (1967):**
  - अनुमति: यह चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर शांतिपूर्ण उद्देश्यों की अनुमति देती है और अंतरिक्ष या खगोलीय पिंडों पर परमाणु हथियार/सामूहिक विनाश के हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है।
  - अनुच्छेद IX: राज्यों को दूसरों के हितों का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कोई क्षेत्रीय दावा नहीं किया जा सकता।
- **दायित्व संधि (1972):**
  - प्रक्षेपण राज्य पृथ्वी/विमानों पर हुई हानि के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है; अंतरिक्ष/चंद्रमा पर हुई हानि के लिए दोष-आधारित दायित्व लागू होता है। यह दावों/निपटान की व्यवस्था भी प्रदान करती है।
- **चंद्रमा समझौता (1979):** (कुछ ही पक्ष; व्यापक रूप से स्वीकार्य नहीं)
  - यह चंद्रमा पर पर्यावरणीय और बचाव संबंधी कर्तव्यों को जोड़ता है; चंद्रमा के संसाधनों को "सामान्य विरासत" के रूप में मान्यता देता है। केवल इसके पक्षकारों पर लागू होता है।
- **1992 संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत:** गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव जो उन मिशनों में परमाणु ऊर्जा की भूमिका को मान्यता देता है जहाँ सौर ऊर्जा अपर्याप्त है; यह सुरक्षा, पारदर्शिता और परामर्श दिशानिर्देश तय करता है।

- भारत बाह्य अंतरिक्ष संधि का हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन *चंद्रमा समझौता* का नहीं। भारत *आर्टेमिस समझौते (2023)* का भी हस्ताक्षरकर्ता है, जिसमें पक्षकार पारदर्शिता, सुरक्षा क्षेत्र और डेटा साझा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं।

चिंताएँ

- चंद्रमा पर परमाणु अपशिष्ट निपटान के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक नियमों की कमी है।
  - बाह्य अंतरिक्ष संधि देशों को पृथ्वी की कक्षा में सामूहिक विनाश के हथियार रखने से रोकती है, लेकिन शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रणोदन पर मौन है।
  - दायित्व संधि *cis-चंद्र अंतरिक्ष* या उससे आगे परमाणु रिएक्टरों से जुड़े दुर्घटनाओं के बारे में स्पष्ट नहीं है।
- यदि प्रक्षेपण या चंद्र संचालन के दौरान दुर्घटनाएँ होती हैं तो रेडियोधर्मी प्रदूषण का जोखिम है, जो शुद्ध वातावरण को बाधित कर सकता है।
- जैसे-जैसे अंतरिक्ष रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन रहा है, कॉम्पैक्ट रिएक्टरों में द्वि-उपयोग क्षमता है, जिससे सैन्यीकरण की चिंताएँ बढ़ती हैं।
- रिएक्टरों के आसपास सुरक्षा क्षेत्र क्षेत्रीय दावों के रूप में व्याख्यायित किए जा सकते हैं, जो *गैर-विनियोग सिद्धांत* का उल्लंघन है।

आगे की राह

- संयुक्त राष्ट्र के 1992 सिद्धांतों को अद्यतन किया जाना चाहिए ताकि प्रणोदन रिएक्टरों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जा सके, सुरक्षा मानक स्थापित किए जा सकें और जीवन-समाप्ति निपटान मानक परिभाषित किए जा सकें।
- संयुक्त राष्ट्र की *बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर समिति* को बाध्यकारी पर्यावरणीय प्रोटोकॉल अपनाने चाहिए ताकि सुरक्षित प्रक्षेपण, प्रदूषण की रोकथाम और परमाणु प्रणालियों के निपटान को नियंत्रित किया जा सके।
- *अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी* के मॉडल पर एक बहुपक्षीय निगरानी तंत्र डिजाइन प्रमाणित कर सकता है, अनुपालन सत्यापित कर सकता है और पारदर्शिता को बढ़ा सकता है।

Source: TH

संक्षिप्त समाचार

केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025

संदर्भ

- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 को 1 दिसंबर, 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया।

विधेयक के बारे में

- यह विधेयक *केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944* में संशोधन करने का प्रयास करता है।
- अधिनियम भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने एवं संग्रह करने का प्रावधान करता है।
- 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के साथ कई वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया था, सिवाय कुछ वस्तुओं जैसे तंबाकू और तंबाकू उत्पादों के।
- तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर अभी भी तीन-स्तरीय कर संरचना लागू है, जिसमें GST, GST क्षतिपूर्ति उपकर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क शामिल हैं।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- विधेयक असंसाधित तंबाकू, संसाधित तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और तंबाकू विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ाता है।
  - **असंसाधित तंबाकू** (जैसे धूप में सुखाए गए तंबाकू पत्ते): 64% से बढ़ाकर 70%।
  - **चबाने वाला तंबाकू:** 25% से बढ़ाकर 100%।
  - **हुक्का या गुड़ाकू तंबाकू:** 25% से बढ़ाकर 40%।

- **पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण:** 60% से बढ़ाकर 325%।
- **सिगरेट:** वर्तमान अधिनियम के तहत शुल्क ₹200 से ₹735 प्रति 1,000 सिगरेट है।
  - विधेयक इसे बढ़ाकर ₹2,700 से ₹11,000 प्रति 1,000 सिगरेट करने का प्रस्ताव करता है।

Source: PRS

संचार साथी ऐप

संदर्भ

- दूरसंचार विभाग (DoT) ने फोन निर्माताओं को निर्देश दिया है कि मार्च 2026 से बेचे जाने वाले उपकरणों में *संचार साथी* ऐप पहले से इंस्टॉल किया जाए।

संचार साथी क्या है?

- 2025 में दूरसंचार विभाग ने *संचार साथी* मोबाइल ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया। इसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को मोबाइल से संबंधित धोखाधड़ी और चोरी की रिपोर्ट करने तथा उनसे बचाव में सहायता करना है।
- **मुख्य विशेषताएँ**
  - **चक्षु:** उपयोगकर्ता कॉल, SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से संदिग्ध धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे नकली KYC अपडेट से जुड़े घोटाले।
  - **IMEI ट्रैकिंग और ब्लॉकिंग:** खोए या चोरी हुए फोन को पूरे देश में सभी दूरसंचार नेटवर्क पर ट्रैक और ब्लॉक करता है।
  - **मोबाइल हैंडसेट की वास्तविकता की जाँच:** IMEI या बारकोड स्कैन का उपयोग करके यह जांचता है कि डिवाइस असली है या नहीं।
  - **मास्क किए गए अंतरराष्ट्रीय कॉल की रिपोर्ट:** विदेश से आने वाली उन कॉल्स को चिन्हित करता है जो स्थानीय (+91 के बाद 10 अंकों) के रूप में छिपाई जाती हैं।
  - **अपने इंटरनेट सेवा प्रदाता को जानें:** पिन कोड, पता या नाम के आधार पर वायरलाइन ISP खोजने की सुविधा देता है।

Source: TH

मसाला बॉन्ड

समाचार में

- प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केरल के मुख्यमंत्री को *Foreign Exchange Management Act (FEMA)* के कथित उल्लंघनों के संबंध में नोटिस जारी किया है, जो *केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (KIIFB)* द्वारा जारी किए गए *मसाला बॉन्ड* से जुड़ा है।

क्या आप जानते हैं?

- KIIFB एक कॉर्पोरेट निकाय है जिसे केरल सरकार ने बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए धन जुटाने हेतु विकसित किया है।
- इसने *मसाला बॉन्ड* लंदन स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में जारी किया है, जिसके माध्यम से ₹2,672.8 करोड़ की राशि *बाहरी वाणिज्यिक उधार (ECB)* के अंतर्गत एकत्रित की गई।

मसाला बॉन्ड

- यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रुपये-मूल्यांकित संसाधन एकत्रित करने का एक साधन है।
- इसके नाम का उद्देश्य इसे स्थानीय स्वाद देना है — 'मसाला' का शाब्दिक अर्थ 'मसालों का मिश्रण' है — जो इस ऋण साधन को भारतीय पहचान प्रदान करता है।
- RBI के FAQ के अनुसार, कोई भी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट और भारतीय बैंक विदेशों में रुपये-मूल्यांकित बॉन्ड जारी करने के लिए पात्र है।

लाभ

- यह मुद्रा जोखिम को समाप्त करता है, लागत-प्रभावी वित्तपोषण प्रदान करता है और वैश्विक निवेशकों तक पहुँच को विविध बनाता है।
- यह एकल स्रोतों पर निर्भरता को कम करता है और बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के साथ-साथ रुपये को वैश्विक बनाने के भारत के लक्ष्य का समर्थन करता है।
- यह उच्च ब्याज दरें, कर लाभ और भारत की वृद्धि से जुड़े रुपये-आधारित निवेश अवसर प्रदान करता है, जिसमें रुपये की सराहना होने पर संभावित लाभ भी शामिल हैं।

Source :TH

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

समाचार में

- *PM VIKAS* अल्पसंख्यक समुदायों को कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर सशक्त बना रहा है।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS)

- यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की एक *केंद्रीय क्षेत्र योजना* है, जो पाँच पूर्ववर्ती योजनाओं — 'सीखो एवं कमाओ', 'नई मंज़िल', 'नई रोशनी', 'उस्ताद(USTTAD)' और 'हमारी धरोहर' — को एकीकृत करती है।
- इसका फोकस छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर है, जिसमें कौशल विकास, अल्पसंख्यक महिलाओं की उद्यमिता और नेतृत्व क्षमता, तथा स्कूल छोड़ चुके छात्रों के लिए शिक्षा समर्थन शामिल है।
- इसमें लाभार्थियों को *राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (NMDFC)* द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋण कार्यक्रमों से जोड़कर *क्रेडिट लिंकिंग* की सुविधा भी दी गई है।
- योजना के सभी घटकों में कुल सीटों का 3 प्रतिशत *विकलांग व्यक्तियों (PwDs)* के लिए आरक्षित है।

उद्देश्य

- लक्षित कौशल प्रशिक्षण और आजीविका समर्थन प्रदान करना।
- सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करना, जिसमें पारंपरिक कला, शिल्प एवं साहित्य शामिल हैं।
- अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व और उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त बनाना।
- बाज़ार और क्रेडिट लिंकिंग के माध्यम से रोजगार क्षमता और आजीविका के अवसरों को बढ़ाना।

क्या आप जानते हैं?

- भारत एक विविध राष्ट्र है जहाँ अल्पसंख्यक समुदायों का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
- अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने छह आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक समूहों — मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और ज़ोरोस्ट्रियन (पारसी) — को सामाजिक-आर्थिक मोर्चों पर समर्थन देने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।

Source :PIB

हेरॉन एमके II यूएवी

संदर्भ

- भारत ने *ऑपरेशन सिंदूर* के बाद लागू आपात प्रावधानों के तहत इज़राइल से *हेरॉन एमके II* ड्रोन की खरीद प्रक्रिया शुरू की है।

परिचय

- **डेवलपर:**इज़राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज*(IAI)*
- **क्षमता:** *हेरॉन एमके II* एक *मध्यम-ऊँचाई, लंबी अवधि (MALE) UAV* है। यह लगभग 500 किलोग्राम पेलोड ले जा सकता है और 24 घंटे से अधिक की निरंतर उड़ान भरने में सक्षम है।
- **सेंसर और सिस्टम:** इसमें *सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR), इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल सिस्टम* और *सिगिनट सेंसर* लगे हैं, जो कठिन मौसम परिस्थितियों में भी व्यापक *ISR (खुफिया, निगरानी, टोही)* क्षमताएँ प्रदान करते हैं।
- **संचालन लचीलापन:** इसके पूर्णतः स्वचालित टेक-ऑफ और लैंडिंग सिस्टम, एन्क्रिप्टेड सैटेलाइट संचार के साथ मिलकर दूरस्थ संचालन, लचीला मिशन नियोजन एवं विभिन्न क्षेत्रों में बिना ग्राउंड-आधारित लाइन-ऑफ-साइट नियंत्रण के तैनाती सक्षम करते हैं।

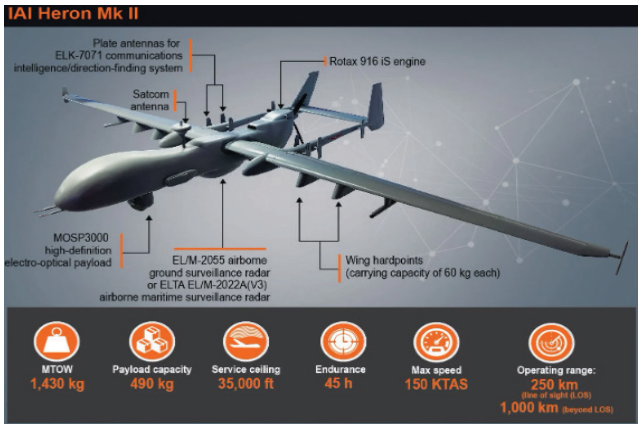

- **महत्व:** *हेरॉन* ड्रोन मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर लंबी दूरी की निगरानी के लिए तैनात किए जाते हैं तथा अत्यधिक प्रभावी सिद्ध हुए हैं।

Source: TH

ऑक्सफ़ोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, 'रेज बेट'

समाचार में

- ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने *"रेज बेट(rage bait0)"* को वर्ष 2025 का *वर्ड ऑफ द ईयर* चुना है, जो डिजिटल संस्कृति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है।

क्या आप जानते हैं?

- ऑक्सफोर्ड ने *"रेज बेट"* को वर्ष 2025 का *वर्ड ऑफ द ईयर* सार्वजनिक मतदान और शब्दकोश विशेषज्ञों (lexicographers) के विश्लेषण के संयोजन के माध्यम से चुना।
- ये विशेषज्ञ नए शब्दों, भाषा प्रवृत्तियों और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण घटनाओं को ट्रैक करते हैं।
- अंतिम शॉर्टलिस्ट में *"बायो हैक"* (स्वास्थ्य सुधारने के तरीके) और *"ऑरा फार्मिंग"* (आकर्षक या कूल दिखने के प्रयास) भी शामिल थे।

"रेज बेट"

- इसे उस ऑनलाइन सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है जिसे जानबूझकर गुस्सा या आक्रोश भड़काने के लिए डिज़ाइन किया जाता है ताकि ट्रैफिक और एंगेजमेंट बढ़ सके।
- यह *"ब्रेन रॉट"* (2024 का शब्द) से अलग है क्योंकि यह जानबूझकर और लक्षित होता है।
- यह *क्लिकबेट* जैसा है लेकिन नकारात्मक उकसावे पर आधारित होता है, जिसे प्रायः सोशल मीडिया एल्गोरिद्म और उकसाने वाली पोस्टों को पुरस्कृत करने वाली प्रणालियाँ और अधिक बढ़ावा देती हैं। इससे *"रेज फार्मिंग"* जैसी प्रथाएँ जन्म लेती हैं।
- अब यह गढ़ी हुई कहानियों, ध्रुवीकरण करने वाली राजनीतिक पोस्टों और षड्यंत्र सिद्धांतों तक फैल चुका है, जो एक एंगेजमेंट-चालित पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करता है जिसे उपयोगकर्ताओं — विशेष रूप से युवा पीढ़ी — के लिए नज़रअंदाज़ करना कठिन है।

Source: IE

डॉ. टेसी थॉमस को पॉलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार 2025 द्वारा सम्मानित

संदर्भ

- भारत की "मिसाइल वुमन" के नाम से प्रसिद्ध डॉ. टेसी थॉमस को विज्ञान और महिला सशक्तिकरण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए *डॉ. पॉलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार 2025* से सम्मानित किया गया है। यह इस पुरस्कार का आठवाँ संस्करण है।

डॉ. टेसी थॉमस के बारे में

- **अग्रणी वैज्ञानिक:** डॉ. थॉमस रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और भारत में मिसाइल परियोजना का नेतृत्व करने वाली प्रथम महिला हैं।
- **मुख्य योगदान:** उन्होंने *अग्नि-IV* और *अग्नि-V* लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रणालियों में परियोजना निदेशक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - उनके कार्य ने उन्हें "अग्निपुत्री" (अग्नि से जन्मी) का उपनाम दिलाया।

डॉ. पॉलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार के बारे में

- *डॉ. पॉलोस मार ग्रेगोरियोस पुरस्कार* मलंकारा (भारतीय) ऑर्थोडॉक्स चर्च की *सोफिया सोसाइटी* द्वारा स्थापित किया गया है और इसे द्विवार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार दिवंगत डॉ. पॉलोस मार ग्रेगोरियोस की स्मृति में दिया जाता है, जो विश्व-प्रसिद्ध दार्शनिक, विद्वान, धर्मशास्त्री और दिल्ली डायोसिस के पहले मेट्रोपॉलिटन थे।
- जिन क्षेत्रों में यह अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पहले दिया जा चुका है उनमें अंतर-धार्मिक संवाद एवं सहयोग, शिक्षा, समग्र स्वास्थ्य अभ्यास और सामुदायिक आत्म-नवीनीकरण शामिल हैं।

Source: IE